दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016

HRLN
HUMAN RIGHTS LAW NETWORK

Australian Aid

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016

HRLN
HUMAN RIGHTS LAW NETWORK

Australian Aid

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के उद्देश्य

- मूलभूत मानवाधिकारों की सुरक्षा, वंचित समुदायों की पहुंच आवश्यक संसाध्नों तक बढ़ाना और भेदभाव दूर करना।
- ऐसी न्याय प्रणाली विकसित करना जो कि सुगम, उत्तरदायी, पारदर्शिक और प्रभावशाली हो और जो वंचित वर्ग के लिए काम करे।
- गरीबों के लिए निःस्वार्थ कानूनी अनुभव के स्तर को उठाना ताकि समान रूप से और सहानुभूतिशील कार्य हो सके।
- जनहित में रुचि रखने वाले वकीलों आरै काननू से किसी न किसी रूप में जुड़ी नयी पीढ़ी के लोगों को उचित प्रशिक्षण देना ताकि सामाजिक आंदोलनों को समझने और जरूरतमंद लोगों, समुदायों को कानूनी सहायता देने के अलावा नयी विध्कि संकल्पनाएं आरै रणनीतियां विकसित करने में दक्षता हासिल हो सके।

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016

© सोशियो लीगल इन्पफरमेशन सेंटर
ISBN: 81 89479 903
September 2015

द्वारा संम्पादित : दीपक कुमार सिंह एवं राजीव रतूरी

द्वारा अनुवाद :
लेआउट एवं डिजाइन : शिवम् सुन्दरम
मुद्रक : शिवम् सुन्दरम

प्रकाशक :
ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क
(सोशियो लीगल इन्पफरमेशन सेंटर का एकांश)
576, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली–110014
फोन : +91–11–24379855 / 24374501
Email: publications@hrln.org, contact@hrln.org
Website: www.hrln.org

खंडन :
जो विचार और मत इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए हैं जरूरी नहीं है कि वह एच.आर.एल.एन. का ही दृष्टिकोण है। हर तरह की कोशिश की गयी है कि गलतियों, विसंगतियों और अपूर्णताओं से बचा जा सके। फिर भी कोई अपरिहार्य त्रुटि या विसंगति रह गयी हो तो एच.आर.एल.एन. इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है।

पाद टिप्पणी पर ध्यान :
लेखकों ने सीधे और सरल अग्रेशण शैली का प्रयोग किया है, ताकि पाठक उल्लेखित स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें।

* इस संकलन का कोई भी भाग जनहित में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की बिना अग्रिम अनुमति परन्तु उपयुक्त आभार के साथ प्रकाशित किया जा सकता है।

विषय वस्तु

अधिकार एवं हक	7
विधिक क्षमता	12
शिक्षा	15
कौशल विकास एवं रोजगार	18
विक्लांगताओं से ग्रसित, सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान	23
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुर्नवास तथा मनोविनोद	24
उपयुक्त सरकारों के कर्तव्य व उत्तरदायित्व	28
परिवेदना निवारण एवं विशेष न्यायालय	32
अपराध एवं दंड	37
विर्निदिष्ट विक्लांगताओं की अनुसूची	39
क्या करें जब इस कानून को लागू न किया जाय?	40

प्रस्तावना

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 का अधिकार 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ।

यह नया कानून विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को व्यक्त करता है और उन्हें यथार्थनीय बनाने के लिए प्रक्रियाओं को बताता है। इस अधिनियम में और भी कई विकलांगता शामिल की गई है तथा कई अधिकारों जैसे कौश्ल विकास, सामाजिक रोज़गार व शिक्षा को विस्तार से बताया गया है। सामाजिक और आर्थिक श्रेणी में आने वालों के लिए प्रावधान जैसे की निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, देखभाल करने का भत्ता, सहायता और उपाय तथा व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि का अधिमानी और रियायती आवंटन, बनाए गए है। इसके अलावा गरीबी हटाने हेतु वर्धित आरक्षण तथा उन्नति की स्कीम भी बनाई है।

इस हैंडबुक में, विकलांग व्यक्तयों से जुड़े प्रावधान तथा डी.पि.ओ. (विकलांग व्यक्तियों के संगठन), प्रश्न–उत्तर के तरीके से अलग–अलग अध्याय में दिए हैं। इस हैंडबुक में विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 से जानकारी ली गई है।

हम आशा करते हैं की ये हैंडबुक वकील, ऐन. जी. औ., डी. पि. ओ. व सक्रियतावादी को अनुमान जगाने में मदद करेगा।

राजीव रतुरी
डाइरेक्टर

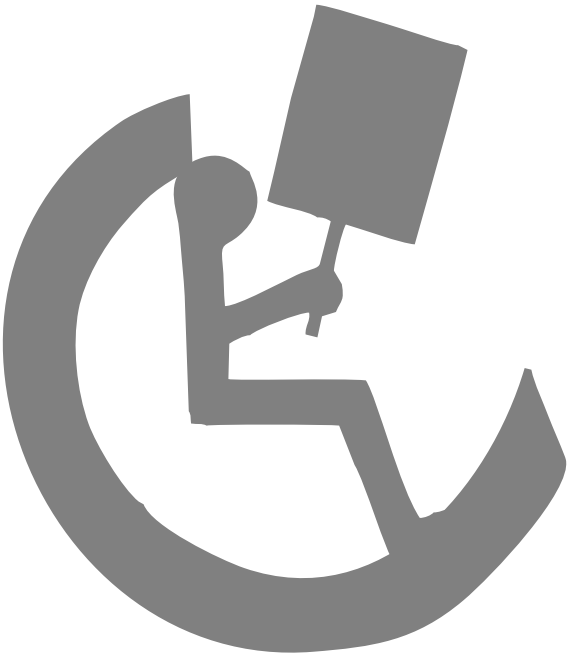

अधिकार एवं हक

क्या दिव्यांग व्यक्ति को समानता, प्रतिष्ठा तथा अखंडता के प्रति सम्मान का अधिकार प्राप्त है?

हां, **आरपीडी अधिनियम की धारा 3.1** के अनुसार सरकार का कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के समान ही समानता के अधिकार, प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन और अखंडता के प्रति सम्मान के अधिकार का उपभोग करे।

क्या विक्लांगता भेदभाव का आधार हो सकती है?

नहीं, धारा 3.3 में निर्धारित कानून के अनुसार किसी भी दिव्यांग व्यक्ति से विक्लांगता के आधार पर भेदभाव नही किया जाएगा, जब तक कि यह न दिखाया गया हो कि प्रेरित कार्य अथवा चूक विधिसम्मत लक्ष्य की प्राप्ति का एक समानुपातिक साधन है।

क्या विक्लांगता, स्वतंत्रता को नकारने का कारण हो सकती है?

कानून की धारा 3.4 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विक्लांगता के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नही किया जाएगा।

क्या दिव्यांग व्यक्ति उचित व्यवस्था के हकदार हैं?

हां, धारा 3.5 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे तथा उपयुक्त व्यवस्था को देने से मना करना, भेदभाव माना जाएगा।

क्या कानून दिव्यांग महिलाओं व बच्चों के लिए भी अधिकारों को सुनिश्चित करता है?

धारा 4 स्पष्ट करती है कि सरकार व स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य व्यक्तियों के समान ही अधिकारों का उपभोग करने हेतु आवश्यक उपायों को सुनिश्चित करेंगे तथा सभी दिव्यांग बच्चों को उनको प्रभावित करने वाले मुददों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा। इसके लिए दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र और विक्लांगता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या दिव्यांग लोगों को समाज में रहने का अधिकार है?

अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट करती है कि उपयुक्त सरकार इस बात का भरसक प्रयास करेगी कि दिव्यांग व्यक्ति किसी विशेष निर्वाह व्यवस्था में रहने के लिए बाध्य न हों तथा उन्हें इन–हाउस, रिहायशी तथा अन्य समुदाय समर्थित सेवाएं प्रदान की जाएगीं जिसमें उम्र और लिंग को उचित सम्मा्न देते हुए निर्वहन के लिए वांछित वैयक्तिक सहायता शामिल है।

क्या कानून दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है?

हां, कानून की धारा 6 में वर्णित है कि प्रताड़ना, निर्ममता, अमानवीयता अथवा निकृष्ट व्यवहार को रोकने के लिए उपाय किये जायेंगे तथा कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, संसूचित सहमति के, जो उस तक पहुंचने योग्य माध्यमों, साधनों और संचार के प्रारूपों से प्राप्त की जाएगी, उसके बगैर अनुसंधान का पात्र नही होगा तथा इसके लिए विक्लांगता पर अनुसंधान की समिति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है।

क्या दिव्यांग व्यक्तियों को दुरूपयोग, हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय प्रचलन में लाये जा चुके हैं?

हां, कानून की धारा 7 कहती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लिया जाएगा तथा विधि क उपाय प्रदान किये जाएंगे, इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगें तथा इनकी रिपोर्टिंग के लिए कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। ऐसी घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को बचाया, सुरक्षित किया जाएगा तथा पुर्नवासित किया जाएगा और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता और सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

- कोई व्यक्ति अथवा संगठन जो अथवा जिसके पास इस पर विश्वांस करने का कारण है कि दुरूपयोग, हिंसा अथवा शोषण का कृत्य किया जा रहा है/हो रहा है, किये जाने की संभावना है, वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट को घटना के विषय में सूचित कर सकते हैं जो इस घटना को रोकने के लिए तुरंत कदम उठायेगा अथवा पीडित की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा। एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अथवा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले किसी संगठन को पीडितों के बचाव हेतु संरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने, पुर्नवास एवं रखरखाव हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

- यदि कथित अपराध अथवा व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन किये गये अपराध की श्रेणी में आता है तो एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट तत्संबंधी अधिकार क्षेत्र के न्याययिक अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को यह शिकायत अग्रेषित करेगा।
- कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत आती है अथवा जिसे इस प्रकर की घटना की जानकारी मिलती है, वह सुरक्षा हेतु आवेदन करने के लिए, मुफ्त कानूनी सहायता, शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्रदान करेगा तथा पीड़ित व्यिक्ति को एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के विषय में भी बताएगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए काम कर रहे नजदीकी संगठन के बारे में भी बताएगा। यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में वर्णित किसी भी बात का किसी भी तरीके से ऐसा अर्थ नही लगाया जाएगा जो कि एक ऐसे संज्ञेय अपराध की सूचना, शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कानून के अनुसार निध र्ारित उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की छूट प्रदान करेगा।

क्या खतरे, सशत्र संघर्ष, मानवीय आपातकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी दिव्यांग व्यक्ति समान सरंक्षण एवं सुरक्षा का हकदार है?

हां, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों में दिव्यांग व्यक्तियों को भी उनकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करेंगें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के दिव्यांग व्यक्तियों के ब्यौरे का रख–रखाव करेगा तथा खतरे की किसी भी स्थिति से उनको सूचित करने के लिए उचित उपाय करेगा जिससे आपदा से निपटने की तैयारी में वृद्धि हो तथा किसी भी खतरे की स्थिति में सशस्त्र संघंर्ष अथवा प्राकृतिक आपदाओं में राज्य आयुक्त (विक्लांगता) से परामर्श के साथ दिव्यांगों तक पहुंचने की जरूरत को पुर्ननिर्माण के कामों में लगे प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या, विक्लांगता युक्त बच्चों को उनके माता–पिता से अलग किया जा सकता है?

धारा 9 में कहा गया है कि विक्लांगता युक्त कोई भी बच्चों को अपने माता–पिता से विक्लांगता के आधार पर अलग नही किया जायेगा सिवाय इसके कि बच्चों के सर्वोत्तम हित के कारण यदि आवश्यक हो तो सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा

ऐसा किया जा सकता है। उन मामलों में जहां माता–पिता विक्लांगता के आधार पर बच्चे की देख–भाल करने में असमर्थ हैं वहां पर सक्षम न्यायालय ऐसे बच्चों को उनके नजदीकी रिश्तेदारों के पास रखेंगें जिसके संभव न होने पर समुदाय के किसी परिवार में अथवा अपवाद स्वरूप मामलों में उपयुक्त सरकार अथवा गैर–सरकारी संगठनों द्व ारा चलाये जाने वाले आश्रयगृहों के संरक्षण में रख देंगें।

क्या कानून दिव्यांगों के पुनरुत्पादक अधिकारों को मान्यता देता है?

हां, धारा 10 में बताया गया है कि उपयुक्त सरकार पुनरुत्पादन एवं परिवार नियोजन के संबंध में सूचनाओं तक दिव्यांगों की पहुंच को सुनिश्चित करेगी तथा विक्लांगता ग्रसित कोई भी व्यक्ति बिना उसकी स्वतंत्र और संसूचित सहमति के ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया से नही गुजरेगा जिससे बांझपन उत्पन्न हो।

चुनाव आयोग को ऐसा क्या करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति भी मतदान कर सकें?

धारा 11 में वर्णित है कि भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के दायरे में हों तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां उनके द्वारा आसानी से समझे जाने योग्य व उनकी पहुंच में हों।

क्या् कानून दिव्यांगों द्वारा न्याय प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों का हल करने में सक्षम रहा है?

हां, धारा 12 के अंतर्गत कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी न्यायालय अथवा ऐसे निकाय में जो न्यायिक अथवा अर्ध–न्यायिक अथवा बिना भेदभाव अन्वेषण की शक्तियां रखता हो, उसके समक्ष जाने का अधिकार है तथा दिव्यांगों, खासकर उनके लिए जो परिवार से अलग रह रहें है तथा वे दिव्यांग जिनको कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है, उनके लिए उपयुक्त समर्थन उपायों की व्यवस्था करेगा।

आगे, धारा में कहा गया है कि राष्ट्रीय तथा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उचित व्यवस्था समेत, किसी भी योजना तक आसानी से पहुंचने के लिए, कार्यक्रम, तथा उनके द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं अथवा सेवाओं तक पहुंचने के लिए दिव्यांगों के लिए प्रावधान बनाएंगे। सभी लोक दस्तावेज सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराये जाऐंगे तथा

इसके लिए सभी पंजीकृत विभाग, रजिस्ट्री आदि सभी आवश्यक उपकरणों के साथ प्रदान की जायेगी। गवाही, बहसों अथवा दिव्यांगों द्वारा उनकी पसंदीदा भाषा में दी गई राय को रिकार्ड करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे तथा सूचना के संसाधन भी उपलब्ध कराये जाऐंगे।

कानूनी क्षमता

क्या सभी दिव्यांगों के पास कानूनी क्षमता है?

हां, धारा 13 कहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग अन्यों के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में समान आधार पर कानूनी क्षमता का आनंद लेंगें तथा कानून के समक्ष किसी भी दूसरे व्यक्ति के समान उनको भी हर जगह समान मान्यता का अधिकार है।

क्या दिव्यांगों को संपत्ति को विरासत में पाने व संपत्ति संग्रहित करने का तथा वित्तीय लेन–देनों में शामिल होने का अधिकार है?

हां, धारा 13 यह भी स्पष्ट करती है कि दिव्यांग व्यक्ति को भी संपत्ति रखने अथवा चल अथवा अचल संपत्ति को विरासत में पाने का, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने का तथा बैंक ऋण लेने का, बंधक तथा वित्तीय ऋणों को लेने का अधिकार प्राप्त है।

उस स्थिति में क्या होता है जब दिव्यांग व्यक्ति तथा किसी भी लेन–देन की सहायक व्यवस्था के मध्य् हितों के टकराव का कोई विवाद उत्पन्न होता है?

धारा 13 कहती है कि दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुचित प्रभाव का प्रयोग नही करेगा तथा व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा तथा निजता को सम्मान करेगा। कोई विवाद किसी विशेष वित्तीय, संपत्ति के अथवा अन्या आर्थिक लेनदेन में दिव्यांग व्यंक्ति व सहायता प्रदान कर रहे व्यक्ति के मध्य उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उस लेन–देन में दिव्यांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने से प्रविरत रहेगा।

क्या दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है?

हां, दिव्यांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था को समाप्त अथवा उसमें बदलाव, उसमें संशोधन अथवा उसका खंडन कर सकता है और दूसरी सहायता की मांग कर सकता है। हालांकि बदलाव, संशोधन अथवा खंडन प्रत्याशित प्रकृति का होगा और दिव्यांग व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वर्णित सहायता व्यंवस्था के माध्यम से बीच में लाये गये तीसरे पक्ष को रद्द नही करेगा।

सीमित संरक्षक क्या है?

"धारा 14 कहती है कि सीमित संरक्षण से तात्पर्य संयुक्त निर्णय से है जो संरक्षक तथा दिव्यांग व्यक्ति की आपसी सहमति और विश्वास पर कार्य करता है तथा सीमित समयावधि और विशेष निर्णय एवं स्थिति के लिए दिव्यांग व्यक्ति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है।

सीमित संरक्षक का चुनाव कब किया जा सकता है?

धारा 14 में यह भी वर्णित है कि अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से यदि कोई अधिसूचित जिला न्यायालय अथवा अन्य किसी नामित प्राधिकरण को यह लगता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसे पर्याप्त एवं उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराई गई थी वह कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे आगे एक सीमित संरक्षक की सहायता उसकी तरफ से कानूनन बाध्यकारी निर्णय उसके साथ विचार–विमर्श कर लेने के लिए प्रदान किया जाता है तथा वह भी इस तरह जो कि राज्य सरकार के निर्धारित किया हो। अधिसूचित न्यायालय अथवा प्राधिकरण दिव्यांग व्यक्ति को पूरा सहयोग दे सकती है तथा जहां बार–बार सीमित संरक्षक प्रदान किया जा रहा हो उस मामले में सहायता दिये जाने के मामले में दिये जाने वाली सहायता और उसकी विधि के लिए अंतिम निर्णय पर न्यायालय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

एक दिव्यांग व्यक्ति यदि संरक्षक की नियुक्ति से संतुष्टं नही है तो वह क्या कर सकता है?

- कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के नामित प्राधिकारी के निर्णय से दुखी दिव्यांग ऐसे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है जिसे इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- उच्चतम सहायता वांछित दिव्यांग तथा वे दिव्यांग जो संस्थानों में रहते है, सहायता व्यवस्थाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं?
- आरपीडी अधिनियम की धारा 15 में वर्णित है कि सरकार एक अथवा एक से अधिक प्राधिकरणों को समुदाय को संघटित करने हेतु नामित करेगी तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी कानूनी क्षमता का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करने हेतु समाज में जागरूकता फैलाएगी तथा इस मद हेतु नामित प्राधिकरण

दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा तथा संस्थानों में रहने वाले व्यक्तियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिनको इसकी अत्यंधिक आवश्यकता है उनके लिए उपयुक्त सहायता प्रबंधों की स्थापना करने के उपाय करेगा।

शिक्षा

क्या सभी स्कूलों में अब दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आवरयकता है?

धारा 16 में कहा गया है कि सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी इस बात का भरसक प्रयास करेगें कि निधिबद्ध अथवा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान उन्हें संयुक्त रूप से समावेशी शिक्षा प्रदान करें।

समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यधारा के स्कूलों को क्या करने की आवश्यकता है?

- बिना भेदभाव के दिव्यांग बच्चों को स्वीकार करें
- अन्य बच्चों के समान ही इन्हें भी शिक्षा एवं खेलकूद तथा मनोविनोद की गतिविधियों के समान अवसर प्रदान करें
- भवनों, कैंपसो एवं अन्य विभिन्न सुविधाओं को इन तक पहुंचाए
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं
- ऐसे वातावरण में जो अकादमिक एवं निरंतर सामाजिक विकास में इनके पूर्ण समावेश के लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत अथवा अन्यथा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे
- जो व्यक्ति अंधा, बहरा अथवा दोनों कमियों से ग्रसित है उसे उपयुक्त भाषा, तरीकों एवं संचार के साधनों द्वारा शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जाय
- बच्चों में सीखने की अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाना व उनको दूर करने के लिए शैक्षणिक और अन्य उपायों को क्रियान्वित करना
- प्रत्येक दिव्यांग बच्चों की भागीदारी, ग्रहण करने की प्रगति के संबंध में स्तर एवं शिक्षा को पूरा करने के क्रिया–कलापों की निगरानी करना
- दिव्यांग बच्चों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उच्च समर्थन वांछित दिव्यांग बच्चों को परिचारक उपलब्धि कराना

समावेशी शिक्षा को साकार बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाऐंगे?

धारा 17 के अंतर्गत इसके लिए सरकार और स्थानीय निकायों को निम्नलिखित की आवश्यकता है

- दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए तथा ये कहां तक पूरी की जा सकती हैं इस हेतु ऐसे दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चों का एक सर्वेक्षण करें जिसमें पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रचलन में आने के दिन से दो साल के भीतर होगा।
- पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना
- उत्कीर्ण लेख (Braille) में तथा विक्लांगताग्रसित वे अध्यापक जो संकेत भाषा में योग्यता प्राप्त हो उनको तथा उन शिक्षकों को भी जो बौद्धिक विक्लांगता वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हो उनकी नियुक्ति करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन केंद्रों की स्थापना करना
- संचार के साधनों और प्रारूपों सहित उपयुक्त संबंधी और वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना, मूक व्यक्तियों को उनकी दैनिक संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कींर्ण तथा संकेत भाषा को बढ़ावा देना, संचार और भाषा विक्लांगता को दूर करने व उन्हें उनके समुदाय में और समाज में योगदान देने के लिए उपरोक्त को बढ़ावा देना
- मानक विक्लांगता वाले बच्चों को अठारह वर्ष तक मुफ्त किताबें, अन्य सीखने की सामग्रियां तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना
- मानक विक्लांगता के आधार पर उपयुक्त मामलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना
- विक्लांगताग्रस्त छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए पाठयक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त बदलाव जैसे परीक्षापत्र पूरा करने

के लिए अतिरिक्त समय देना, लिपिक अथवा टंकक की सुविधा तथा दूसरी एवं तीसरी भाषा को पाठयक्रम से छूट देना की व्यपवस्था करना

- सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना

क्या कानून दिव्यांग लोगों की प्रौढ शिक्षा आवश्यकताओं की भी जानकारी देता है?

धारा 18 के अनुसार दिव्यांग लोगों को प्रौढ़ शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसे सुरक्षा देने व बढावा देने तथा अन्य लोगों के साथ समान रूप से शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा उन्हें सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा उपाय किये जाएंगे।

मानक विक्लांगता वाले लोगों की शिक्षा के संबंध में कानून की क्या राय है?

धारा 31 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक 6 से 18 वर्ष के मानक विक्लांगतायुक्त बालक को अपने पसंद के अनुसार नजदीकी स्कूल में अथवा विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इसके आगे धारा 32 में निहित है कि सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान तथा सरकार से अनुदान प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मानक विक्लांगता वाले व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित नही रखेंगे तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में भी पांच साल की आयु की छूट भी देय होगी।

कौशल विकास और रोजगार

क्या सरकार को दिव्यांग लोगों के कौशल विकास और रोजगार के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है?

हां, धारा 19 में कथन है कि दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए रियायती दरों पर ऋण के प्रावधान के साथ उपयुक्त सरकार योजनाएं व कार्यक्रम बनाएंगी।

ये सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम किस पर केंद्रित होंगे?

- मुख्य धारा की सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक व्यवसायिक तथा कौशल प्रशिक्षण योजनाएं और कार्यक्रम समर्थन और सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधानों के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के आमेलन को सुनिश्चित करेंगें।
- बाजार के साथ क्रियाशील संपर्क के माध्यम से विकासशील, बौद्धिक, बहु–विक्लांगताओं तथा ऑटिज्म पीडितों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा।
- कौशल प्रशिक्षण तथा स्व–रोजगार में की गई प्रगति पर असंतुलित डाटा का रख–रखाव करना।
- रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था जिसमें माइक्रोऋण शामिल है।
- दिव्यांग लोगों द्वारा बनाये गये उत्पादों की मार्केटिंग।

क्या दिव्यांगों को रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है?

धारा 20 में कहा गया है कि रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नही करेगा, बशर्ते कि उपयुक्त सरकार अपने संस्थान में चलाये जा रहे कार्य के प्रति सम्मान रखते हुए, अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो तो, किसी संस्थान को इस धारा के प्रावधान से छूट दे सकती है।

क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को उचित व्यव्यस्था एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यतकता है?

हां, धारा 20 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को दिव्यांग कर्मचारियों को उचित व्यव्यस्था तथा उपयुक्त बाधारहित एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

क्या दिव्यांग लोगों को विक्लांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है?

नही, धारा 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल विक्लांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नही किया जाएगा।

क्या एक सरकारी सेवक को जो सेवा में रहते हुए विक्लांगता का अधिग्रहण करता है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है?

नही, कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान ऐसे किसी कर्मचारी को जिसने अपनी सेवा के दौरान विक्लांगता अधिग्रहित की है, सेवा से अलग नही करेगा अथवा पदच्युत नही करेगा, बशर्ते कि यदि कर्मचारी विक्लांगता अधिग्रहण करने के पश्चात अपने पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नही है तो उसे समान वेतनमान सेवा लाभों के साथ दूसरे पद पर रखा जायेगा तथा यदि उसे अन्य किसी पद पर समायोजित करना संभव नही है तो तब तक जब तक कि उसके लिए एक उपयुक्त पद उपलब्ध नही हो जाता अथवा वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नही कर लेता, दोनों में से जो भी पहले हो, उसे अधिसंख्य पद पर रखा जाएगा।

क्यां दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा बनायी जाएगी?

हां, धारा 20.5 में वर्णित है कि दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां उपयुक्त सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बनायी जाएगी।

एक समान अवसर नीति क्यो है और इस नीति को कौन बनाता है?

जैसा कि धारा 21 में वर्णित है कि समान अवसर नीति इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ एक प्रतिष्ठान द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित उपायों से युक्त दस्तावेज है तथा इसे तैयार किया जाना है एवं प्रत्येक प्रतिष्ठान द्वारा अधिसूचित किया जाना है और मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त जैसा भी मामला हो उनके सम्मुख पंजीकृत किया जाने वाला एक दस्तातवेज है।

क्या एक प्रतिष्ठाान द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों का रिकार्ड व उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का रिकार्ड रखना आवश्यक है?

हां, धारा 22 में वर्णित है कि प्रत्येक प्रतिष्ठा्न द्वारा कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के रिकार्ड, उनको दी गई सुविधाओं तथा इस कानून के प्रावधानों के अनुपालन में अन्य आवश्यक जानकारी का रख–रखाव करना आवश्यक है।

रोजगार कार्यालयों को क्या करना चाहिए?

धारा 22 के अनुसार रोजगार कार्यालयों को प्रत्येक रोजगार तलाशने वाले दिव्यांग का रिकार्ड का रख–रखाव करना होगा तथा ये रिकार्ड सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

मानक विक्लांगता वाले दिव्यांगों के लिए उपयुक्त नौकरियों का चुनाव करने के लिए सरकार क्या करेगी?

धारा 33 के अनुसार उपयुक्त सरकार को चाहिए कि :–

(I) धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिष्ठाकनों में आरक्षित रिक्तियों के संबंध में मानक विक्लांकगता वाले दिव्यांवगों द्वारा धारित किये जाने वाले पदों की पहचान करनाय

(II) ऐसे पदों की पहचान करने के लिए मानक विक्लांधगताओं वाले लोगों के प्रतिनिधि के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करनाय तथा

(III) चिन्हित पदों की नियमित समीक्षा करना जो कि तीन साल की समयावधि से अधिक न हो।

मानक विक्लांगता वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तथा इसे कैसे विभाजित किया जाता है?

धारा 34 में वर्णित है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार को प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक ग्रुप पदों के संवर्ग बल के चार प्रतिशत पदों को मानक विक्लांगतायुक्त लोगों द्वारा भरा जाना है जिसमें से एक प्रतिशत खंड (क), (ख) तथा (ग) एवं एक प्रतिशत खंड (घ) तथा (ङ) में वर्णित मानक विक्लांगताओं के लोगों के लिए आरक्षित होंगी जिनका विवरण नामत यह है कि :–

(क) अंधापन एवं कम दृष्टि

(ख) बहरापन व सुनने में कठिनाई

(ग) मस्तिष्क पक्षाघात सहित गतिरोध विक्लांगता, कुष्ठरोग, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित एवं मांसल कुपोषण

(घ) स्वालीनता, बौद्विक विक्लांगता, विशिष्ट सीखने की विक्लांगता तथा मानसिक बीमारी

(ङ) खंड (क) से (घ) में वर्णित विभिन्न विक्लांग लोगों में से बहुविक्लांगता जिनमें बहरा–अंधापन शामिल है उनके लिए विशेष विक्लांगता हेतु चिन्हित पद

क्या पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान है?

पदोन्नति में आरक्षण सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

क्या सरकारी प्रतिष्ठान मानक विक्लांगता वाले लोगों को नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण में छूट मांग सकती है?

हां, मुख्य आयुक्त, उपयुक्त सरकार अथवा राज्य आयुक्त जैसा भी मामला हो उनसे परामर्श करते हुए किसी सरकारी प्रतिष्ठान में किये जा रहे काम के प्रति सम्मान रखते हुए, अधिसूचना द्वारा एवं ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसी अधि ासूचना में बतायी गयी हो, इस धारा में निहित प्रावधानों से किसी सरकारी प्रतिष्ठान को छूट दे सकती है।

यदि मानक विक्लांगता के वर्गों के लिए चिन्हित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही हैं तो क्या किया जाएगा?

धारा 34 में कहा गया है कि जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति मानक विक्लांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने की स्थिति में नही भरी जाती है अथवा अन्य किसी उचित कारण से नही भरी जाती है तो इस रिक्ति को बाद के भर्ती वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और यदि बाद के भर्ती वर्ष में भी मानक विक्लांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो इसे पहले पांच वर्गों में परस्पर विनिमय द्वारा भरा जायेगा तथा केवल उसी स्थिति में जब उस भर्ती वर्ष में उस पद के लिए विक्लांगता युक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, नियोक्मा उस पद को विक्लांगता धारित व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करते हुए भरेगा बशर्ते कि किसी प्रतिष्ठान में यदि रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि नियत वर्ग का व्यक्ति नियुक्त नही किया जा सकता है तो इन रिक्तियों को सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पांच वर्गों के मध्य परस्पर विनिमय द्वारा भरा जायेगा।

क्या आयु सीमा में छूट दी जाएगी?

धारा 34 में वर्णित है कि सरकार अधिसूचना द्वारा, मानक विक्लांगता धारित लोगों के लिए उच्चतम आयु सीमा में वांछित छूट को जैसा उसे उचित लगे, अधिसूचना द्वारा प्रदान कर सकती है।

गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं?

धारा 35 में वर्णित है कि उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंदर, गैर सरकारी क्षेत्रों के नियोक्ताओं को इस हेतु कि उनका कार्यबल लगभग पांच प्रतिशत मानक विक्लांगता वाले लोगों से युक्त हो, प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को विशेष रोजगार केन्द्रों को रिकार्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है?

हां, धारा 36 में वर्णित है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा, इस तिथि से प्रत्येक प्रतिष्ठान का नियोक्ता, मानक विक्लांगता धारित लोगों की उन रिक्तियों की जो मौजूद है तथा जो भविष्य में होने वालीं हैं उनका ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार इनकी जानकारी अथवा विवरण उन विशेष रोजगार केंद्रों को उपलब्ध करायेगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो तथा प्रतिष्ठान इस संबंध में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

क्या गरीबी उन्मूलन और विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में भी आरक्षण है?

(क) सभी संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों में मानक विक्लोंगता धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए कृषि योग्य भूमि एवं आवास आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण है

(ख) मानक विक्लांगता धारित महिलाओं को उचित प्राथमिकता देते हुए सभी गरीबी उन्मूणलन तथा विभिन्नत विकास योजनाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण है

(ग) रियायती दरों पर ऐसे स्थानों पर भूमि आंबटित करने जहां पर इस प्रकार की भूमि को आवासीय उददेश्यी हेतु, आश्रय हेतु, व्यवसाय स्थापित करने हेतु, उद्यम स्थापित करने, कारोबार लगाने, मनोविनोद केंद्र स्थापित करने तथा उत्पादन केंद्रों को स्थापित करने को बढावा दिया जायेगा वहां पर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है।

उच्च समर्थन वांछित विक्लांगता धारित लोगों के लिए विशेष प्रावधान

क्या उच्च समर्थन वांछित विक्लांतगता धारित लोगों के विशेष प्रावधान है? हां, धारा 38 में वर्णित है कि मानक विक्लांगता धारक कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसे उच्च, समर्थन की आवश्यकता है, अथवा कोई भी व्यक्ति अथवा उसके लिए कोई भी संगठन उपर्युक्त सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण में उच्च समर्थन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण इस आवेदन को एक निर्धारण बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो मामले का आकलन करेगा और इसकी रिपोर्ट उच्च समर्थन प्राप्ति और इसकी प्रकृति को प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रेषित करेगा। प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार तथा संबंधित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस हेतु उपर्युक्त सरकार के आदेशों के अनुसार समर्थन प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुर्नवास तथा मनोविनोद

समुदाय में रहने और रहने का पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या करना आवश्यक है?

धारा 24 के अनुसार सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को रहने का पर्याप्त मानक प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने और समुदाय में रहने के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी तथा विक्लांगता धारित लोगों की सहायता की मात्रा इन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत कम से कम अन्य व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार ही योजनाओं से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक होगी।

समुदाय में रहने और स्वतंत्र रूप से रहने को सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी?

(क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श के क्षेत्र में अच्छी रहने की स्थिति के साथ सामुदायिक केंद्र

(ख) विक्लांगता धारित उन बच्चों् के साथ–साथ जिनके परिवार नहीं हैं अथवा जिनकों त्याग दिया है अथवा जो बिना आश्रय अथवा आजीविका के है उनके लिए सुविधांए उपलब्ध् कराना है

(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में समर्थन

(घ) विक्लांग महिलाओं को समर्थन प्रदान करना तथा उनके बच्चों के पालन–पोषण में सहयोग देना

(ङ) सुरक्षित पेयजल तक पहुंच तथा विशेष रूप से शहरी झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में उपयुक्त और सुगम स्वच्छता भी सुविधा

(च) ऐसी आयु सीमा, जिसे अधिसूचित किया गया हो उसके साथ दिव्यांग लोगों के लिए साधन एवं उपकरणों, दवाइंयों एवं नैदानिक सेवाओं और निःशुल्क सर्जरी के प्रावधान

(छ) अधिसूचित आयुसीमा की तयसीमा के अधीन दिव्यांग लोगों को विक्लांगता पेंशन

(ज) दो वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत दिव्यांग जिन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय में नही लगाया गया हो उन्हे बेरोजगार भत्ता प्रदान करना

(झ) उच्च समर्थन वांछित दिव्यांग लोगों को देखभालकर्ता भत्ता

(ञ) राज्य कर्मचारी बीमा योजनाओं अथवा अन्य विधायी अथवा सरकार द्वारा चलायी जाने वाली प्रायोजित बीमा योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले दिव्यांगों के लिए व्यापक बीमा योजना

(ट) कोई अन्य मामला जिसे सरकार उचित समझे

दिव्यांग लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

धारा 25 में वर्णित है कि सरकारी एवं निजी सभी अस्पतालों में और अन्य स्वास्थ्य रक्षा संस्थांनों और केंद्रों में बाधारहित मुफ्त पहुंच, इलाज और सेवा में प्राथमिकता तथा आयुसीमा के अधीन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा प्रदान की जाएंगी।

विक्लांगता होने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

धारा 25 में यह भी निर्धारित है कि संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देने तथा विक्लांगता को रोकने के लिए उपाय करेंगे तथा योजनाएं अथवा कार्यक्रम बनाएंगे तथा इसके लिए वे

(क) विक्लांगता के कारणों का अनुसंधान और जांच से संबंधित सर्वे किया जाएगा

(ख) विक्लांगता रोकने के अनेक कारणों को बढ़ावा दिया जाएगा

(ग) वर्ष में एक बार जोखिम स्तर के बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से सभी बच्चों की कम से कम वर्ष में एक बार जांच की जाएगी

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना

(ङ) प्रायोजन अथवा जागरूकता अभियान प्रायोजित करने तथा सामान्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रसार करना अथवा सूचना प्रसारित करने का कारण बनना

(च) बच्चों तथा माता की देखभाल के लिए प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवबाद के कदम उठाना

(छ) स्कूल–पूर्व संस्थानों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों गॉव स्तर के कार्यकर्ताओं एंव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना

(ज) विक्लांगता के कारणों तथा ग्रहण किये जाने रोकथाम के उपायों से जनता में टेलीविजन, रेडियो तथा अन्य मासमीडिया साधनों द्वारा जागरूकता फैलाना

(झ) प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना

(ञ) जीवनरक्षक आपातकालीन उपचार तथा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं

(ट) दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष रूप से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था।

क्या सरकारी सेवा में दिव्यांग लोगों के लिए बीमा योजनाएं तैयार की जाएंगी?

हां, धारा 26 के अनुसार सरकार को अधिसूचित करते हुए अपने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनानी हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में पुर्नवास हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

धारा 27 में वर्णित है कि दिव्यांगों के लिए आर्थिक क्षमता के अंतर्गत तथा सरकार के विकास के लिए तथा स्थानीय प्राधिकरणों की संवाओं तथा पुर्नवास के कार्यक्रमों, विशेषरूप से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्रों में निष्पादित की जाएगी अथवा निष्पादित करायी जाएंगी तथा इसके लिए वित्तीय सहायता एनजीओ को उपलब्ध कराई जाएगी तथा एनजीओ के साथ परामर्श से पुर्नवास नीतियों का निर्धारण किया जाएगा।

दिव्यांग लोगों के पुर्नवास और पहनावे को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा?

धारा 28 में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए आवास व पुर्नवास आवश्यक व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे व्यक्तिगत माध्यम से एवं संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास प्रारंभ करेगी अथवा करवाना सुनिश्चित करेगी।

दिव्यांग लोगों के पास एक सांस्कृतिक जीवन हो तथा वे मनोरंजक गतिविधियों में भाग लें इसके लिए क्या उपाय किये जाएंगे?

धारा 29 के अनुसार संबंधित सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों को चाहिए कि वे दिव्यांग कलाकारों और लेखकों को प्रायोजकता प्रदान करें, विक्लांगता इतिहास संग्रहालय की

स्थापना करें जिसमें इतिहास व इससे जुड़े अनुभवों का विवरण हो, मनोरंजन केंद्रों व अन्य परस्पर जुड़ाव संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा दें, सांस्कृतिक तथा कला के पाठयक्रमों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पुनः डिजाइन करें तथा स्काउटिंग में, नृत्य में, कला कक्षाओं में, आउटडोर कैंपों तथा साहसिक गतिविधियों में इनको भागीदारी की सुविधा प्रदान करे तथा मनोरंजक गतिविधियों में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरणों तथा यंत्रों का निर्माण करें जिससे वे इन गतिविधियों में शामिल हों पायें तथा ये सुनिश्चित करें कि श्रवणशक्ति में कमी वाले लोग इन कार्यक्रमों तक संकेत भाषा निर्वचन के माध्यम से इन तक पहुंच पायें।

क्या उपाय किये जाएंगे जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति खेल गतिविधियों में भाग ले सके?

धारा 30 कहती है कि

- खेल प्राधिकरणों को खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने व इनका विकास करने के लिए इन्हें योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करना होगा
- इनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाठयक्रमों और कार्यक्रमों को पुर्नगठित करना होगा
- सभी खेल क्रियाकलापों की ढ़ांचागत सुविधाओं को पुर्नगठित व समर्थन करना होगा
- खेल गतिविधियों में अभिक्षमता, प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के विकास के लिए प्रोद्योगिकी का विकास करना
- प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खेल गतिविधियों में बहु–संवेदी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें
- प्रशिक्षण के लिए राज्य की कला खेल सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि आबंटित करना
- विक्लांगता विशेष खेल स्पर्धाओं का आयोजन करें व इनको बढ़ावा दे तथा इन स्पर्धाओं में जीतने वालों व अन्य प्रतिभागियों को इनाम भी दें

उपयुक्त सरकार के दायित्व व कर्तव्य

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जागरूकता के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

धारा 39 में वर्णित है कि संबंधित सरकार को मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के साथ विचार–विमर्श करते हुए दिव्यांग लोगों को प्रदान किए गये अधिकारों की रक्षा, प्रोत्साहन, समर्थन अथवा जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देकर तथा संवेदी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए सुनिश्चित करनी होगी।

संपर्कता मानकों एवं इनके क्षेत्रों को कौन निर्धारित करता है?

धारा 40 के अनुसार केंद्र सरकार को मुख्य आयुक्त के साथ विचार–विमर्श करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं जानकारी, जिसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकियां एवं प्रणालियां शामिल हों तथा अन्य सुविधाएं और सेवाओं संबंधी नियमों का निर्धारण करना है।

दिव्यांग लोगों की वैयक्तिक गतिशीलता पर कानून की क्या राय है?

धारा 41 (2) में वर्णित है कि संबंधित सरकार दिव्यांग लोगों की व्यक्तिगत गतिशीलता को वहनीय लागत पर प्रोत्साहन तथा छूट प्रदान करते हुए, वाहनों का पुनः संयोजन करते हुए तथा व्याक्तिगत गतिशीलता सहायता का प्रावधान करते हुए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनायेगी।

क्या दिव्यांगों तक दृश्य, श्रव्य तथा प्रिंट प्रारूपों को संपर्कशील बनायी जाएगी?

हां, धारा 42 के अनुसार संबंधित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रव्यो, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में मौजूद विषयवस्तु सुलभ प्रारूप में उपलब्ध हों तथा दिव्यांग लोगों को श्रव्य, विवरण संकेत भाषा निवर्चन तथा नजदीकी अनुशीर्षक प्रदान करते हुए उनके लिए सुलभ बनाएगी

वस्तुओं के सार्वभौमिक ढ़ांचे पर कानून को क्या कहना है?

धारा 42 में वर्णित है कि दैनिक उपयोग के इलेक्ट्रानिक सामना और उपकरण एकरूपी ढांचे में उपलब्ध हों तथा धारा 43 संबंधित सरकार को यह अधिकार प्रदान

करती है कि दिव्यांगों के लिए सार्वभौमिक रूप से डिजाइन किये गये उपभोक्ता उत्पादों और सामान्या उपयोग के उपसाधनों के विकास को बढावा देने उत्पादन बढ़ाने तथा वितरण के लिए उपाय करें।

इमारतों को सुलभ बनाने के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाया जाएगा?
धारा 44 में वर्णित है कि किसी भी प्रतिष्ठान को किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नही दी जाएगी यदि, बिल्डिंग प्लान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नही करता है तथा किसी भी भवन को पूरा होने अथवा इसका कब्जा लेने संबंधी प्रमाण–पत्र तब तक नही दिया जाएगा जब तक वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमो का पालन न कर लें।

सभी सार्वजनिक इमारतों को दिव्यांगों के लिए कब सुलभ बनाया जाएगा?
धारा 45 में वर्णित है कि सभी मौजूदा सरकारी इमारतों को केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इन नियमों के अधिसूचित होने के पांच वर्ष के भीतर सुलभ बनाया जाएगा हांलांकि केंद्र सरकार मामला–दर–मामला आधार पर इन प्रावधानों के अनुपालन के लिए राज्यों की तैयारी की स्थिति व अन्य संबंधित मानकों के आधार पर समय सीमा को बढ़ाने में छूट दे सकती है। इसके आगे संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी प्राथमिकीकरण पर आधारित, अपनी सभी इमारतों और स्थान जो आवश्यक सेवाएं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हास्पिटलों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए कि वे दिव्यांगों की पहुंच तक सुलभ हों इस हेतु एक कार्य योजना बनाएंगे।

क्या सेवा प्रदाताओं के लिए भी दिव्यांगों को सुलभ सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है?
हां धारा 46 में वर्णित है कि सेवा प्रदाता चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी हो केंद्र सरकार द्वारा सुलभता पर निर्धारित किये गये नियमों के अनुसार में इन नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्षों के अंदर–अंदर सेवा प्रदान करनी होगी यद्यपि केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त के साथ विचार–विमर्श कर सेवा को निर्दिष्ट वर्ग को सेवा प्रदान करने की समय सीमा को आगे विस्तारित कर सकती है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधनों को प्रशिक्षित व विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा?

धारा 47 के अनुसार संबंधित सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुकूल मानव संसाधनों के विकास का भरषक प्रयास करना होगा

(क) पंचायती राज सदस्यों, विधायकों, प्रशासकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों एवं वकीलों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित सभी पाठ्यक्रमों में विक्लांगता अधि ाकारों पर अनिवार्य प्रशिक्षण

(ख) स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालय, शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कार्मिकों, समाज कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, इंजीनियरों, आर्किटैक्टों अन्य व्यावसायियों तथा समुदाय कार्यकर्ताओं के लिए सभी शैक्षिक कोर्सों में विक्लांगता को एक घटक के रूप में प्रारंभ करना

धारा 47 यह भी निर्धारित करती है कि केंद्र सरकार को प्रत्योक पांच वर्ष में एक आवश्यकता आधारित विश्लेषण निष्पादित करना है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने वाले उपयुक्त कार्मिकों की भर्ती, प्रवेश, संवेदीकरण, अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना

क्या दिव्यांगों तथा उनके परिवारों व देखभाल कर्ताओं को स्वततंत्र रूप से रहने पर कानून के अधीन प्रशिक्षण दिया जाना है?

हां धारा 47 के अंतर्गत निर्धारित है कि सरकार स्वतंत्र जीवनयापन में प्रशिक्षण तथा परिवारों के सामुदायिक संबंधों, समुदाय के सदस्यों तथा अन्य हितधारकों और देखभाल हेतु सेवा समर्थन प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रारंभ करेगी तथा विक्लांगता ग्रसित व्यक्तियों के लिए आपसी भागीदारी और आदर पर समुदाय संबंधों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगी

क्या प्रशिक्षण के लिए विशेषरूप से खेल शिक्षक ही लक्षित है

हां धारा 47 के अंतर्गत इसे चाहिए कि खेल अध्यापको के लिए खेलों, क्रीड़ाओं, साहसिक गतिविधियों पर केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना है।

क्या विश्विविद्यालय को विक्लांगता अध्ययनों पर अनुसंधान की आवश्यकता है?

हां धारा 47 में निर्धारित है कि ऐसे अध्ययनों के लिए स्थापित अध्ययन केंद्रों सहित सभी विश्वविद्यलयों में विक्लांगता अध्ययन पर शिक्षण एवं शोध को बढावा देना होगा।

क्या कानून के अधीन दिव्यांगों के लिए बनायी गयी योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक ऑडिट की आवश्याकता है?

हां, धारा 48 में वर्णित है कि संबंधित सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधति सभी सामान्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित करना है और यह दिव्यांगों की जरूरतों को पूरी तथा समस्याओं को दूर करता है।

समस्या निवारण एवं विशेष न्यायालय

दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त

क्या सरकार दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त व राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी?

धारा 74 में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त तथा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिये दो आयुक्त जिनमें से एक आयुक्त एक दिव्यांग व्यक्ति होगा, की नियुक्ति की जाएगी

मुख्य आयुक्त की सहायता एक सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी जो विभिन्न विक्लांगताओं से जुडे.कम से कम एक व्यक्ति के साथ कुल 11 विशेषज्ञों से बनी होगी।

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य आयुक्त को क्या करना आवश्यक है?

धारा 75 के अनुसार मुख्य आयुक्त को

(क) स्वप्रेरणा अथवा अन्यथा किसी कानून, नीति, कार्यक्रम और प्रणालियों के, उन प्रावधानों का जो इस अधिनियम के अनुसार असंगत है का पता लगाना तथा उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना

(ख) दिव्यांगों के वंचित अधिकारों का स्वतः अथवा अन्यथा पता लगाना तथा उन मामलों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना जिन मामलों में केंद्र सरकार सक्षम सरकार है तथा मामले को उपचारात्मंक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष पेश करना

(ग) इस अधिनियम अथवा किसी निश्चित समय के लिए दिव्यांगों के लिए क्रियाशील कानूनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी क्रियान्व्यन के लिए उपाय सुझाना

(घ) दिव्याांगों के लिए निर्धारित संधियों और अंर्तराष्ट्रीय उपायों का अध्ययन करना तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें देना

(ङ) दिव्यांगों के क्षेत्र अनुसंधान करना व इसकों बढ़ावा देना

(च) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकारों तथा उन अधिकारो के लिए मौजूद सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढावा देना

(छ) इस अधिनियम और योजनाओं तथा दिव्यांगों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों की निगरानी करना वह इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

(ज) केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के हित के लिए आबंटित किए गये बजट की निगरानी करना

(झ) केंद्र सरकार द्वारा दिये गये जाने वाले अन्य कार्यों निष्पादन करना

मुख्य आयुक्त के द्वारा सिफारिश किये जाने पर क्याा होता है?

धारा 76 में कहा गया है कि जब भी कोई मुख्य आयुक्त किसी प्राधिकारी को कोई सिफारिश करेगा तो वह प्राधिकारी उस सिफारिश पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई से इस सिफारिश के प्राप्त होने के तीन माह के भीतर मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा।

मुख्य आयुक्त की क्या शक्तियां है?

धारा 77 कहती है कि निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मुख्य आयुक्त के पास वही शक्तियां होंगी जो किसी मामले की सुनवाई में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत एक न्यायाधीश में निहित होती हैं

(क) गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन जारी करना व उसे लागू करना

(ख) किसी दस्तावेज की उपस्थिति व खोज की मांग सुनिश्चित करना

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी पब्लिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति मांगना

(घ) हलफनामें के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना

क्या राज्य सरकारों को राज्य आयुक्त विक्लांगता नियुक्त करने की आवश्यकता है?

हां, धारा 79 के अनुसार राज्य सरकार दिव्याांग व्यक्तियों के लिए एक राज्य आयुक्त नियुक्त करेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्लांगता के अलग–अलग क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञों से समाहित कर बनाई गई पांच सदस्यीय सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी

राज्य विक्लांगता आयुक्त के क्या कर्तव्य हैं?

धारा 80 के अनुसार राज्य आयुक्त को :

(क) स्वप्रेरणा से अथवा अन्य विधि से उस किसी कानून अथवा नीति के प्रावधानों, कार्यक्रम व प्रक्रियाओं की पहचान करना जो असंगत है तथा उसके लिए सुध ाारात्मक उपाय सुझाना

(ख) स्वप्रेरणा से अथवा अन्य विधि से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के वंचन की पहचान करना तथा उनको उन मामलों में जिनमें राज्य सरकार उपयुक्त सक्षम सरकार है सुरक्षा प्रदान करना तथा इन मामलों को सुधार के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करना

(ग) दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ समय के लिए इस अधिनियम के द्वारा अथवा तहत अथवा अन्य किसी कानून के तहत प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना

(घ) दिव्यांग लोगों के अधिकारों के अनुप्रयोग को बाधित करने वाले कारकों की समीक्षा करना उपयुक्त उपचारात्मक उपाय सुझाना

(ङ) दिव्यांग लोगों के क्षेत्र में अनुसंधान करना व इसे बढावा देना

(च) दिव्यांग लोगों के अधिकारों तथा इनकी रक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के विषय में जागरूकता सुनिश्चित करना

(छ) दिव्यांग लोगों के लिए इस अधिनियम तथा योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नजर रखना

(ज) दिव्यांग लोगों के हितों के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित की गयी धनराशि के उपयोग पर नजर रखना तथा

(झ) राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

जब एक राज्य आयुक्त सिफारिश करता है तो क्या होता है?

धारा 81 स्पष्ट करती है कि जब भी राज्य आयुक्त किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा तथा सिफारिश प्राप्त होने के तीन माह के भीतर राज्य सरकार को की गई कार्रवाई से सूचित करेगा इसके अतिरिक्त जहां एक प्राधिकारी अगर सिफारिश स्वीकार नही करता है तो वह इसका कारण तीन महीने के अंदर दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त को भेजेगा तथा पीड़ित व्यिक्त को भी सूचित करेगा।

क्या राज्य आयुक्त के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं?

धारा 82 कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए राज्य आयुक्त के पास निम्न मामलों के संबंध में वही शक्तियां निहित होंगी जो किसी मुकदमें की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल कोर्ट की जो शक्तियां न्यायालय में निहित होती हैं वही होंगी

(क) गवाहों की उपस्थिति के लिए सम्महन जारी करना व उसे लागू करनाय

(ख) किसी दस्ताउवेज की प्रस्तुति व खोज की मांग सुनिश्चित करनाय

(ग) किसी न्याायालय अथवा कार्यालय से किसी पब्लिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति मांगनाय

(घ) हलफनामें के आधार पर साक्ष्य प्राप्तप करनाय

(ङ) गवाहों और दस्तारवेजों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करनाय

विशेष न्यायालय क्या है?

धारा 84 के अनुसार तीव्र विचारण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अधिसूचना के द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए नियुक्त करेगा।

क्या इन न्यायालयों में सरकारी अभियोजकों को भी नियुक्त किया जाएगा?
धारा 85 स्पष्ट करती है कि उसके लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय में, उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा ऐसे किसी एक लोक अभियोजन को विर्निदिष्ट कर सकती है अथवा एक अभियोजन की नियुक्ति कर सकती है जिसने कम से कम सात साल तक एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में अभ्यास किया हो।

रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव की स्थिति का सामना करने पर क्या दिव्यांग लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का कोई अन्य मंच है?
धारा 23 के अनुसार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में अधिसूचना के माध्याम से रोजगार से संबंधित शिकायतों के निपटान के संबंध में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाए। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त विक्लांगता जैसा भी मामला हो उसे अधिसूचित की जानी अपेक्षित है।

रोजगार के प्रावधानों के पालन न किए जाने से ग्रसित कोई भी व्यक्ति शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है जो इसकी जांच करेगा तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रतिष्ठान के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शिकायत निवारण अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार शिकायतों का एक रजिस्टर बनायेंगे तथा प्रत्येक शिकायत की इसके दर्ज किये जाने के दो सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी।

यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नही है तो वह विक्लांगता पर गठित जिला–स्तरीय समिति से संपर्क कर सकता है।

अपराध एवं दंड

इस अधिनियम के अंतर्गत कारित किए जाने वाले अपराधों के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए है?

- अधिनियम के अधीन प्रावधानों अथवा नियमों के पहले उल्लंघन के लिए 10 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा उत्तंरवर्ती उल्लंघन हेतु पचास हजार रूपये से पांच लाख रूपये तक का जुर्माना।
- यदि एक कंपनी अपराध कारित करती है और यह साबित हो जाता है कि अपराध निदेशक अथवा अन्य अधिकारी की सहमति, मौन सहमति अथवा लापरवाही के कारण हुआ है तो ऐसी कंपनी अथवा अधिकारी को दोषी माना जाएगा तथा उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा तदनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा।
- मानक विक्लांगता धारक व्यक्तियों के लिए निर्धारित सुविधाओं का कपटपूर्वक लाभ उठाने के लिए दो साल तक की सजा अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना व दोनों से दंडित किया जाएगा।
- दिव्यांग व्यक्ति को सार्वजनिक दृष्टि से अपमानित करने, डराने व नीचा दिखाने के लिए, किसी दिव्यांग महिला पर उसे अपमानित करने और उसकी लज्जाभंग करने के इरादे से उसे अपमानित करने और उस पर बल प्रयोग करने के लिए, खाना–पीना देने से इनकार करने, यौनशोषण करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, किसी अंग अथवा भावना अथवा अन्य किसी सहायक उपकरण की सहायता से उसे नुकसान पहुंचाने अथवा हस्तक्षेप करने के लिए, बिना उसकी व्यक्तं सहमति के किसी ऐसी मेडिकल प्रक्रिया को, प्रदर्शित, क्रियान्वित करने अथवा ऐसी प्रक्रिया करने हेतु निर्देशित करने जिससे गर्भावस्था की समाप्ति हो जाए अथवा बिना किसी संरक्षक और बिना किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर्स की राय के ऐसा करने के लिए कम से कम 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है जिसे जुर्माने सहित पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- जानबूझकर किसी पुस्तक, लेखा या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहने अथवा कोई विवरण, सूचना अथवा ब्यौरा प्रस्तुत न कर पाने के लिए

प्रत्येक अपराध हेतु पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना तथा लगातार असफल व इनकार करने की स्थिति में आगे एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से मूल आदेश द्वारा दंड दिये जाने की दिनांक से आगे देय होगा।

विर्निदिष्ट विक्लांगताओं की सूची

1. शारीरिक विक्लांगता
   क) कुष्ठा रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, एसिड अटैक पीड़ित सहित गतिरोध विक्लांगता
   ख) अंधापन व कम दृष्टि
   ग) बहरापन व सुनने में कमी
   घ) वाक और भाषा विक्लांकगता
2. विशिष्ट सीखने की विक्लांगताओं और ऑटिज्म स्पैकक्ट्रम डिसआर्डर सहित बौद्विक विक्लांगता
3. मानसिक बीमारी
4. मल्टीपल सेलेरोसिस, पार्किन्संस डिसीस
5. हीमोफीलिया, थैलासीमिया, सिकल सेल बिमारी सीखने की विक्लांगताओं और ऑटिज्म
6. गूंगे–बहरेपन सहित अनेक विक्लांगतां

नोट– केन्द्र सरकार किसी अन्य वर्ग को भी अधिसूचित कर सकती है।

क्या करें जब इस कानून को लागू न किया जाय?

यदि इस कानून के प्रावधानों को क्रियान्वित नही किया जाता है तो एक दिव्यांग व्यक्ति क्या कर सकता है ?

विक्लांगता अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिकारों को लागू करने के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति को अवश्य रुप से करना चाहिए :

- यदि किसी संस्थान में विक्लांगता अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गये अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है अथवा इनसे वंचित किया जा रहा है तो संबंधित सरकार एवं/अथवा संबंधित प्रतिष्ठान को अपना प्रस्तुतीकरण दें
- यदि कोई प्रतिक्रिया न आए अथवा प्रतिक्रिया नकारात्मक/अपर्याप्त हो तो उस स्थिति में संबंधित आयुक्त (विक्लांगता) से संपर्क करें।
- वैकल्पिक रूप से संबंधित उच्च न्याायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करें।
- यदि वहां पर राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है तो उस दशा में उच्चतम न्याायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका दायर करे।

विक्लांगता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किये जाने के खिलाफ जो विक्लांग लोगों के एक पूरे समूह को प्रभावित करते हो, क्या किया जा सकता है?

ऐसे मामलों में एक दिव्यांग व्यक्ति अथवा दिव्यांग व्यक्तियों का एक समूह और यहां तक कि एक संबंधित एनजीओ अथवा दिव्यांगों के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन, प्रभावित वर्ग के समूह की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) अथवा जहां पर राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो वहां पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उदाहरणार्थ, विक्लांग व्याक्तियों के रोजगार अथवा शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तक पहुंच व उपयोग, नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक भवनों अथवा इन्हीं के समान जो एक से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को दुष्प्रभावित करती है अथवा लाभ पहुंचाती है, इन स्थितियों के मद्देनजर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की जा सकती है।

HRLN
HUMAN RIGHTS LAW NETWORK

Australian Aid